



IMMEDIATE

A-12023/7/2019-E-IV Section  
Government of India  
Ministry of Jal Shakti  
Department of Water Resources,  
River Development & Ganga Rejuvenation

Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg,  
New Delhi, dated : 15<sup>th</sup> January, 2020

Subject : Vacancy circular for appointment to the post of Chairman, Cauvery Water Management Authority (CWMA), New Delhi on deputation (including short-term contract) basis.

Applications are invited for one post of Chairman, Cauvery Water Management Authority (CWMA), in Level – 17 (Rs.2,25,000/- fixed) of pay matrix to be filled **by deputation (including short term contract) basis**. The Cauvery Water Management Authority (CWMA) has been constituted by Government of India vide its Notification No.S.O.2236 (E), dated 01.06.2018 under the provisions of Section 6A of the Inter-State River Dispute (ISRWD) Act, 1956 to give effect to the decision of the Cauvery Water Dispute Tribunal as modified by the Hon'ble Supreme Court in its order dated 16.02.2018.

2. The last date for receipt of applications for appointment on deputation (including short-term contract) basis to the post of Chairman, CWMA, earlier published in the Employment News edition dated 9-15 November, 2019 is hereby extended up to 07.03.2020.

3. Persons meeting the eligibility criteria may apply for the post by sending their application, duly signed (in triplicate), in the prescribed proforma, to the Under Secretary (Estt.-IV), Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation, Room No. 435, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi – 110001 through proper channel.

4. Advance copies of applications or applications received after the prescribed period or not accompanied with the requisite information/ documents are liable to be rejected.

5. It is requested that wide publicity may be given to the above vacancy and circulated for information of all the eligible officers.

6. Details of the post, eligibility conditions etc. are available at [www.dopt.gov.in](http://www.dopt.gov.in) and [www.mowr.gov.in](http://www.mowr.gov.in).

(Shalini Juneja)  
Under Secretary to the Government of India  
PH : 23766944

To

1. Heads of Organisations under the DoWR, RD and GR (as per list enclosed).
2. Secretaries of Union Ministries (as per list enclosed).
3. Principal Secretaries of Water Resources/ Irrigation Departments of the State Governments (as per list enclosed).
4. Chief Secretaries of States/ Union Territories (as per list enclosed).
5. Technical Director (NIC), DoWR, RD & GR New Delhi with a request to upload the information in DoWR, RD & GR' website.

Services-II Branch  
Diary No. 10556  
Date 22/01/20

A-12023/7/2019-ई- IV अनुभाग

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग,

नई दिल्ली, दिनांक: 15<sup>th</sup> जनवरी, 2020

**विषय:** कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए), नई दिल्ली में प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) आधार पर अध्यक्ष पद की नियुक्ति के लिए रिक्ति परिपत्र।

कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) में अध्यक्ष के एक पद को प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) आधार पर वेतन मैट्रिक्स के लेवल-17 (रु. 2,25,000 नियत) के तहत भरे जाने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। भारत सरकार द्वारा कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) का गठन अंतरराज्यीय नदी विवाद अधिनियम, 1956 की धारा 6 के उपबंधों के तहत माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा यथा आशोधित कावेरी जल विवाद अधिकरण के दिनांक 16.02.2018 के आदेश को प्रभावी बनाने के लिए दिनांक 01.06.2018 की अधिसूचना संख्या एस.ओ.2236 (ई) के द्वारा की गई थी।

2. कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण में अध्यक्ष के पद को प्रतिनियुक्ति (अल्पकालीन संविदा सहित) के आधार पर भरने हेतु दिनांक 9-15 नवम्बर, 2019 के रोजगार समाचार में पहले प्रकाशित, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख एतत् द्वारा 07.03.2020 तक बढ़ाई जाती है।

3. पद की पात्रता को पूरा करने वाले व्यक्ति निर्धारित प्रारूप में यथाविधि हस्ताक्षरित (तीन प्रतियों) में अवर सचिव, (स्थापना-iv), जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, कमरा सं. 435, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली - 110001 को उचित माध्यम से अपना आवेदन भेज सकते हैं।

4. निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त होने आवेदनपत्र या आवेदनपत्र की अग्रिम प्रतियां या अपेक्षित सूचना/दस्तावेज के अभाव में आवेदन को निरस्त माना जाएगा।

5. उपयुक्त रिक्ति का व्यापक प्रचार किए जाने और सभी पात्र अधिकारियों की जानकारी के लिए परिचालित करने का अनुरोध है।



6. पद, पात्रता शर्तों आदि का ब्यौरा [www.dopt.gov.in](http://www.dopt.gov.in) और [www.mowr.gov.in](http://www.mowr.gov.in) पर उपलब्ध है।

शालिनी जुनेजा  
17/01/2020

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

1. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के अंतर्गत आने वाले संगठनों के प्रमुख (संलग्न सूची के अनुसार)।
2. केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी सचिव (संलग्न सूची के अनुसार)।
3. राज्यों सरकारों के जल संसाधन/सिंचाई विभाग के प्रधान सचिव (संलग्न सूची के अनुसार)।
4. राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव (संलग्न सूची के अनुसार)।
5. तकनीकी निदेशक (एनआईसी), जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, नई दिल्ली को सूचना को जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।